नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 1994

संख्या पी0 सी0— 94/805— पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाण के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शें में दर्शायी गई अनुसूचीं में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव बाबड़ा, वाकीपुर, तहसील और जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस—पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं, अर्थातः—

अनुसूची

गांव बाबड़ा वाकीपुर, तहसील और जिला गुड़गांव के प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा—अनुसूची की ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 406/93 दिनांक 25 मई, 1993 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: "ड्राईंग में दिखाए गये बिन्दु 'क' से शुरू करके अर्थात गांव बाबड़ा वाकीपुर की उत्तरी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'ख' तक, जहां ग्राम बाबड़ा बाकीपुर की उत्तरी सीमा और गांव पाटली हाजीपुर की पश्चिमी सीमा मिलती है, इसके बाद उत्तर की ओर गांव पाटली हाजीपुर की पश्चिमी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'ग' तक, जोिक आयत संख्या 144 का उत्तर पश्चिम कोना है, इसके बाद पूर्व की ओर गांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 144 और 148 कीउत्तरी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'ध' तक जो गांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 148 का उत्तर पूर्वी कोना है।

पूर्व: इसके बाद दक्षिण की ओर गांव पाटली हाजीपुर की आयत संख्या 148,150 की पूर्वी सीमा के साथ—2 और आगे गांव बाबड़ा बाकीपुर की आयत संख्या 16 की उत्तर पूर्वी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'इ' तक जो उक्त गांव की आयत संख्या 16 का उत्तर पूर्वी कोना है, इसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 46, 33, 38 की पूर्वी सीमा के साथ—2 इसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 38 की दक्षिणी सीमा के साथ—2 इसके बाद दक्षिण कीओर आयत संख्या 49, 54 की पूर्वी सीमा के साथ—2 बिन्दु 'घ' तक जोकि गांव बाबड़ की बाकीपुर की आयत संख्या 54 का दक्षिण पूर्वी कोना है।

दक्षिण: इसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 54 की दक्षिणी सीमा के साथ–2 इसके बाद दिक्ष्मण की ओर आयत संख्या 58 की पूर्वी सीमाके साथ–2 इसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 58 की दिक्षणी सीमा के साथ–2 बिन्दु 'छ' तक, जोकि भांग बाबड़ा बाकीपुर की आयत संख्या 58 का दिक्षण पश्चिमी कोना है।

पश्चिमः इसके बाद पश्चिम की ओर गांव बाबड़ा बाकीपुर की पश्चिमी सीमा के साथ-2 बिन्दु 'क' तक अर्थात् प्रारम्भिक बिन्दु।

प्रदीप कुमार,

आयुक्त एंव सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

178

HARYANA GOVT. GAZ (EXTRA.), JAN. 31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT Notification

The 25th January, 1994

No. PC-94/805- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (I) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School at village Babra Bakipur of tehsil and district Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundaries of the controlled area around Government Primary School at village Babra Bakipur, of tehsil and district Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 406/93, dated 25th May, 1993.

North: Starting from point 'A' shown on the Drawing i.e. the north east corner of Rect. No. 1 of village Babra Bakipur, thence towards north and east along the northern boundary of village Babra Bakipur upto the point 'B' which is the meeting point of northern boundary of village Babra Bakipur and western boundary of village Patli Hazipur, thence towards north along the western boundary of village Patli Hazipur upto point 'C' which is the north west corner of Rect. No. 144, thence towards east along the northern boundary of Rect. No. 144 and 148 of village Patli Hazipur upto point 'D' which is the north east corner of Rect. No. 148 of village Patli Hazipur.

East : Thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 148, 150 of village Patli Hazipur and further along the north eastern boundary of Rect. No. 16 of village Babra Bakipur upto point 'E' which is the north east corner of Rect. No. 16 of said village, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 16,33,38 , thence, towards west along the southern boundary of Rect. No. 38, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 49 and 54 upto point 'F' which is the south east corner of Rect. No. 54 of village Babra Bakipur.

South: Thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 54, thence towards south along the eastern boundary of Rect. No. 54. Thence , towards west along the southern boundary of Rect. No. 58 up to the point 'G' which is the south-west corner of Rect. No. 58 of village Babra Bakipur.

West: Thence, towards North west along western boundary of village Babra Bakipur upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR

Commissioner and Secretary to Government Haryana, Town and Country Planning Department.